न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि०न० – 21/2021

अनवान : –

1. मोसमा बानो पत्नी बरकत अली जाति तेली निवासी मलसीसर त० भादरा।

–प्रार्थीया

बनाम्

1. कासमदीन पुत्र हाकमअली जाति मुसलमान/छिम्पा निवासी मलसीसर त० भादरा।

असल अप्रार्थी

2. मीरा देवी पत्नी रामपत जाति जाट निवासीगण मलसीसर त० भादरा।
3. अमरसिंह पुत्र रामपत जाति जाट निवासीगण मलसीसर त० भादरा।
4. राजेन्द्र पुत्र रामपत जाति जाट निवासीगण मलसीसर त० भादरा।
5. रणजीत पुत्र रामपत जाति जाट निवासीगण मलसीसर त० भादरा।
6. दलीप पुत्र रामपत जाति जाट निवासीगण मलसीसर त० भादरा।
7. जगदीश पुत्र रामपत जाति जाट निवासीगण मलसीसर त० भादरा।
8. कविता पत्नी मन्दरूप जाति जाट निवासीगण मलसीसर त० भादरा।
9. एकता पुत्री मन्दरूप जाति जाट निवासीगण मलसीसर त० भादरा।
10. पूनम पुत्री मन्दरूप जाति जाट निवासीगण मलसीसर त० भादरा।
11. गणपतराम पुत्र दुलीचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी मलसीसर त० भादरा।
12. बीरूराम पुत्र दुलीचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी मलसीसर त० भादरा।
13. पकंज कुमार पुत्र दुलीचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी मलसीसर त० भादरा।
14. सन्तरो बानो पत्नी शोकिन खॉ जाति मुसलमान निवासी मलसीसर त० भादरा।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

तरतीबी अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट</u>
<u>सपठित धारा 8(2) राज0 कॉल0 एक्ट</u>

उपस्थिति :–श्री सुरजीत बिजारणिया **प्रार्थी**

<u>निर्णय</u>

दिनांक: 10.02.2023

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मलसीसर के खाता सं0 195/193 के खसरा सं0 14, 43, 644/1 की कुल 19.5500 प्रार्थीया की मुश्तर्का खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीया व अप्रार्थीगण तरतीबी के अपने खेत में जाने के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी सं0 1 को खसरा सं0 649/2 के पूर्व से पश्चिम में अपने खसरा सं0 644/1 की सींव तक 16 फिट चौड़ा व 25 फिट लम्बा रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु कहा तो अप्रार्थी सं0 1 ने इन्कारी कर दी। अतः प्रार्थीया अपनी खातेदारी में आवागमन हेतु उक्त रास्ता स्वीकृत करवा पाने की कानूनी अधिकारी है।

अधिकारी (राजस्व) (जिला-हनुमानगढ़)

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। समन तामिल होने के बाद अप्रार्थी सं0 1 हाजिर अदालत नहीं होने पर अप्रार्थी सं0 1 के विरुद्ध एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तरतीबी अप्रार्थीगण को वकील प्रार्थी ने तर्क अंकित किया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थीया की खातेदारी में आवागमन के लिए प्रस्तावित रास्ते के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। मुताबिक प्रार्थना पत्र उक्त प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन है, तथा रास्ता की भूमि की एवज में कोई भी अनुतोष प्रार्थीया व तरतीबी अप्रार्थीगण देने के लिए तत्पर है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने रोही मौजा मलसीसर के खाता सं0 195/193 के खसरा सं0 14, 43, 644/1 की कुल 19.5500 प्रार्थीया की मुश्तर्का खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में आवागमन हेतु अप्रार्थी सं0 के खसरा सं0 649/2 से रास्ता स्वीकृति हेतु निवेदन किया गया। तहसीलदार भादरा की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसमें उक्त खसरा 649/2 में सदामद से रास्ता चालू होना बताया गया है लेकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीया व तरतीबी अप्रार्थीगण के अपनी खातेदारी में आवागमन तथा नियमित उपयोग–उपभोग की दृष्टि से प्रस्तावित रास्ता स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है ।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा मलसीसर के खसरा सं0 649/2 में चालू रास्ता से पूर्व से पश्चिम 16 फिट चौड़ा व 25 फिट लम्बा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें तथा रास्ता की एवज की भूमि के बदले राजस्थान स्टाम्प नियमों के तहत निर्धारित डीएलसी दर से अप्रार्थी सं0 1 को अनुतोष दिलाया जाकर उपरोक्तानुसार रास्ता का अंकन कर रिकार्ड दुरुस्त करे।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़